राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2589/2024

विजय कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर डिवीजन, उदयपुर।
4. प्रधानाचार्य, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय, ब्लॉक लालसोट, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.08.2024

आदेश की दिनांक : 22.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, लालसोट, दौसा में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी आदेश दिनांक 05.08.2021 के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान विद्यालय में पदस्थापित हुआ और आदेश दिनांक 16.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की

गई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.03.2024 को पदोन्नति उपरांत कार्यग्रहण किया गया और अपीलार्थी ने प्रोफार्मा पदस्थापन हेतु निवेदन किया, जिसके क्रम में प्रत्यर्थी विभाग को पत्र लिखा गया। परंतु प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2024 जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को महाराणा प्रताप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खमनोर, राजसमंद पदस्थापित किया गया और उसे कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि प्रधानाचार्य के द्वारा सिफारिश की जाने उपरांत भी अपीलार्थी को प्रोफार्मा पदस्थापन नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2024 एवं 12.08.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय, लालसोट, दौसा में पदस्थापित रखा जावे एवं आदेश दिनांक 31.07.2024 में पद त्याग की शर्त को अपास्त किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ सहायक के पद पर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, लालसोट, दौसा में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार

आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)